कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ माध्य/ संस्था /बी–2 / . 45002 /प्रधाना. /स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती वन्दना यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल, जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करवाडा की ढाणी जिला जालौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती वन्दना यादव द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3193/2019 वन्दना यादव बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3193/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती वन्दना यादव को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्थानांतरित स्थान के दुरस्थ होने, सास के विकलांग होने एवं अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयां के मद्देनजर अपना पदस्थापन अलवर अथवा झुन्झुनूं जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर करने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों को प्रथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नही होता जिससे इनके अभ्यावेदन पर विचार किया जा सके। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1993 एस0सी02486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करें।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती वन्दना यादव द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/वन्दना यादव/3193/2019 दिनांकः25.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/पाली संभाग, जयपुर/पाली।

4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती वन्दना यादव को तत्काल स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए-17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 3 दिवस में इस कार्यालय के विभागीय जॉच प्रथम अनुभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/जालौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती वन्दना यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)